



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –थाना मेरापुर

दिनांक :- 06.01.2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 02/25 धारा 115(2)/108 BNS में नामित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री अलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस के द्वारा मु0अ0सं- 02/2025 धारा 115(2)/108 BNS मे 03 वांछित अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अजय कुमार उर्फ आदेश पुत्र भूरे लाल उम्र 27 वर्ष निवासी संकिसा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. फूलन श्री पत्नी भूरेलाल उम्र 54 वर्ष निवासी संकिसा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।
3. काजल पुत्री भूरेलाल उम्र 26 वर्ष निवासी संकिसा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- दिनांक- 04.01.2025 को वादी श्री वीरपाल पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम नगला मुंही थाना कोतवाली देहात जनपद एटा द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाना मेरापुर पर सूचित किया गया कि वादी के पुत्र

श्यामपाल की पत्नी काजल व काजल के परिजन द्वारा मारपीट की गयी जिससे परेशान होकर वादी के पुत्र श्यामपाल द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पेट्रोल से आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया तथा गम्भीर रूप से जल गया। जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 04.01.2025 को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में मृत्यु हो गयी।

दिनांक 04.01.2025 को प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेरापुर पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 115(2)/108 BNS बनाम 1. काजल पत्नी श्यामपाल पुत्री भूरे 2.आदेश पुत्र भूरे 3.फुलश्री पत्नी भूरे निवासीगण ग्राम संकिसा थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद 4.लोकेश पुत्र राजा निवासी अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना क्रम में दिनांक 06.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग मे नामित अभियुक्त 1.अजय कुमार उर्फ आदेश पुत्र भूरे लाल उम्र 27 वर्ष 2.फूलन श्री पत्नी भूरेलाल उम्र 54 वर्ष 3.काजल पुत्री भूरेलाल उम्र 26 वर्ष निवासीगण संकिसा थाना मेरापुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने अपने जुर्म से इंकार करते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0न्यायालय में देना बताया ।

अभियुक्त अजय कुमार उर्फ आदेश पुत्र भूरे लाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 115(2)/108 BNS थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्ता फूलन श्री पत्नी भूरेलाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 115(2)/108 BNS थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्ता काजल पुत्री भूरेलाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 115(2)/108 BNS थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी थाना मेरापुर
2. म0उ0नि0 साधना यादव थाना मेरापुर
3. का0 अर्जुन सिंह थाना मेरापुर
4. का0 ओमवीर सिंह थाना मेरापुर
5. म0का0 हैप्पी उपाध्याय थाना मेरापुर

(मीडिया सेल फतेहगढ़)



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक -06.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजवीर धीमर पुत्र वालाशाह निवासी लारा थाना लारा जिला मैनपुरी हाल पता- ग्राम अखरी थाना अलीगंज जिला एटा मु०अ०सं०- 241/2010 वाद स०-99/2010 धारा- 21/22 NDPS एक्ट को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.01.2025 को मा० न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 माह के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री दिनेश सिंह चोहान



एडीजीसी- श्री शीखरतन आनन्द



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० तुलाराम